


14/21

डीपीलॉर के अधिवक्ता उपस्थित।  
 अधिवक्ता डीपीलॉर द्वारा माफिक  
 आदेश अदालत रेश्म की तलेबी  
 हेतु मोटिल तलेबाना उल्लु मदी  
 किया है जबकि कस हेतु द्युचित  
 अवसर उदान किया गया है। कि:  
 डीपीलॉर की यह डीपील डेदम  
 पैरवी एवं डेदम पालना अदालत  
 आदेश में खारिज की गयी है।  
 पत्रावली फेरल शुमार होकर नंबर  
 से कम हो व दाखिल करार हो।

  
 जिला कलक्टर  
 वाडमेर

